उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या-13/2018/729/53-2-18-16(बजट)/2016
लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2018

शुद्धि-पत्र

कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-16(जिला योजना-सामान्य) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-7/2018/654/53-2-18-16(बजट)16, दिनांक 27 अप्रैल,2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2018 के संलग्नक के क्रमांक-50 जनपद सिद्धार्थनगर के स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि रू0 6.00 हजार के स्थान पर रू0 4.00 हजार एवं स्तम्भ-16 में कुल धनराशि रू0 120.00 हजार के स्थान पर कुल धनराशि रू0 118.00 हजार त्रुटिवश अंकित हो गया है।

2- अत: उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2018 के संलग्नक के क्रमांक-50 जनपद सिद्धार्थनगर के स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि रू0 4.00 हजार के स्थान पर रू0 6.00 हजार एवं स्तम्भ-16 में कुल धनराशि रू0 118.00 हजार के स्थान पर कुल धनराशि रू0 120.00 हजार पढा जाये।

3- कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-7/2018/654/53-2-18-16(बजट)16, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 एवं तत संलग्नक इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

राज कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-13/2018/729(1)/53-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
12- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in